संख्या-15/2019/575/सत्तर-4-2019-9(1)/05टी0सी0

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव / वित्त अधिकारी,

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,

प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक 18 मार्च, 2019**

विषय- वित्तीय वर्ष 2018-19 उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज को गैर वेतन मद में देय अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के पत्र संख्या-ओ0यू0/वित्त/4232/2019, दिनांक 05.03.2019 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-42/2018/719/सत्तर-4-2018-9(1)/05टी0सी0, दिनांक 20.04.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में मानक मद 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0 20.00 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 10.00 लाख (रू0 दस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

2- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को समयांतर्गत उपलब्ध कराया जायेगा। यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोई अंश शेष बचता है तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह मार्च में शासन को समर्पित किया जायेगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस अनुदान के बिल पर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रतिहस्ताक्षर करेंगे।

5- इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थाई रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नही किया जायेगा। उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस धनराशि में उन्ही मदों में उतनी ही धनराशियाँ व्यय हेतु अनुमन्य होगी, जो शासनादेश संख्या-1075/70-4-99/46(21)/99 दिनांक 29 अप्रैल, 2000 की संलग्न तालिका में प्रत्येक मद हेतु अनुमन्य की गई है। इसका उल्लंघन करने पर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 55ए के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

6374
29.3.19.
डॉ0 (आर0 के0 चतुर्वेदी)
अपर सचिव
उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा...

6- इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।

7- इस अनुदान पर राज्य विश्वविद्यालयों को ब्लाक-ग्राण्ट देने की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-1371/15(15)/95-46(55)/94 दिनांक 04 मई, 1995 द्वारा निर्धारित नियम व शर्ते लागू होंगी। तदनुसार ही विश्वविद्यालय द्वारा व्यय किये जायेंगे और व्यय के विवरण तत्काल शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

8- उक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-37- राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

9- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11 के अशासकीय संख्या - ई-11-296 /दस-2019, दिनांक 15.मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
उप सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सूचना आडिट), उ0प्र0 प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा , उ0प्र0 प्रयागराज।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी।
5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-11
7. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
उप सचिव